UPLK010077352026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश/एस0सी0एस0टी0एक्ट, लखनऊ।

<u>प्रतिभू प्रार्थना पत्र संख्या–3795/2026</u>

अंकित उर्फ मनीष कुमार उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी–म0नं0–24, एम0जी0रोड, हाईकोर्ट, छत्तर मंजिल, लखनऊ।

.....आवेदक/अभियुक्त

————बनाम————

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी

मु0अ0सं0–233/2026,
अन्तर्गत धारा–69,77,352,351(2)बीएनएस एवं धारा–67(ए) एवं 66(ई)सू0प्रा0(सं0)अधिनियम
थाना–कृष्णानगर, लखनऊ
दक्षिणी पुलिस कमिश्नरेट, जिला लखनऊ।

<u>दिनांक–25.06.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित उर्फ मनीष कुमार को जमानत पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर उसके सुयोग्य अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सुयोग्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप्तः अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रश्नगत मामले की वादिनी मुकदमा पीड़िता के द्वारा सम्बन्धित थाने पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि, ''प्रार्थिनी के मामा का लड़का अंकित व उसकी पत्नी कोमल के बीच तलाक का मामला चल रहा है तथा प्रार्थिनी के यहॉ प्रार्थिनी के पति सन्दीप का तलाक का मामला चल रहा है। इसी दौरान अंकित मुझे मिला और मुझसे तलाक के बाद शादी करने का वादा करके मेरे साथ कई बार लगातार शारीरिक सम्बध बनाये और उसकी वीडियो भी बनाया और जिसमें प्रार्थिनी की बदनामी हुई है। दिनांक–26.5.26 को कोमल ने इंस्टाग्राम आईडी से अर्चना को वीडियो वायरल कर दिया जिस पर अर्चना ने कोमल से मोबाइल लाकर प्रार्थिनी को दिया जिसे साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करूॅगी। प्रार्थिनी की वीडियो अर्चना ने नफीस को भेजा जिस पर नफीस वायरल करने की धमकी दे रहा है प्रार्थिनी के परिवारीजनो से गाली गलौज कर रहा है। अतः अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की।''

वादिनी मुकदमा की सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण अंकित, कोमल, नफीस एवं अर्चना के विरूद्ध अंतर्गत धारा–69,77,352,

351(2)बीएनएस एवं धारा–67(ए) एवं 66(ई)सू0प्रा0(सं0)अधिनियम के तहत अपराध के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या–233/2026 दर्ज किया गया। विवेचना अमल में लायी गई।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है, कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में न तो योजित किया गया है और न ही लम्बित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 दिन विलम्ब से दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से भली भॉति विदित हो रहा है कि वादिनी मुकदमा ने स्वयं की स्वीकृति से प्रार्थी/अभियुक्त के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये और शादी करने का वायदा न निभाने पर उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया।वादिनी मुकदमा परिपक्व मस्तिष्क की महिला है। उसकी पूर्ण सहमति से ही शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। प्राथ्री/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह विश्वसनीय जमानते देने को तैयार है। जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

पीड़िता ने जमानत प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अपनी आपत्ति मय शपथपत्र दाखिल कर यह कथन किया कि, प्रार्थी/अभियुक्त ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ विश्वासघात कर नशीला पेय पदार्थ पिलाकर ब्लैकमेल करने की नियत से उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसकी प्रापर्टी हड़पने की नियत से वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है निरस्त किये जाने की याचना की।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता से उसके पति से तलाक के बाद शादी करने का वादा किया गया और कई बार उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये और उसकी वीडियो भी बनायी तथा उसे ब्लैक मेल करने की नियत से उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई। अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–02.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। दोनो पक्षों ने अपनी वैवाहिक स्थित को स्पष्ट करते हुए तलाक का मुकदमा चलने का अभिकथन किया है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बीएनएस में यह अभिकथन किया है कि अंकित से मेरी दोस्ती वर्ष 2023 में हुई थी। फिर हमारी अक्सर फोन पर बात होने लगी। अंकित ने संदीप से मेरा तलाक होने पर शादी का वायदा किया था जिस वजह से उसने मेरे साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे

शारीरिक सम्बन्ध बनाते समय वह बिना मेरी मर्जी के वीडियो भी बनाया करता था और अंकित की पत्नी कोमल ने उन वीडियो को वायरल कर दिया था। पीड़िता ने केस डायरी में अंकित अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बीएनएसएस में भी इन्हीं कथनों की पुष्टि की है।

अभियुक्त की ओर से मा0 उच्च न्यायालय केरल द्वारा कि0अपील नं0–660/2026 का हवाला दिया, जिसमें देते हुए यह अभिमत व्यक्त किया गया कि It is the legal necessity that a party offering a promise must be qualified to give the promise.To put it otherwise, prima facie, there is a chance or probability to believe the promise by the other party to accept the promise. When a person who already married gives a promise to marry a woman and who knows that the person giving the promise is a married man, sexual intercoures on the said promise, if any, performed between them, in such cases it is not safe to hold that the same is by any deceitful means or on the promise of marriage since. प्रार्थी/अभियुक्त सन्दर्भित माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था का लाभ नहीं ले सकता है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में यह अभिकथन किया गया है कि पीड़िता का अपने पति से और प्रार्थी/अभियुक्त का अपनी पत्नी से तलाक का मामला चल रहा था। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध अन्तर्गत धारा 69 बीएनएस गम्भीर प्रकृति का है तथा 10 वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, गवाहो के बयानात, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप की प्रकृति एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित उर्फ मनीष कुमार का जमानत प्रार्थनापत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–25–06–2026

(नीतू पाठक)
विशेष न्यायाधीश/एस0सी0एस0टी0एक्ट
लखनऊ।

Digitally signed by Neetu pathak
Date: 2026.06.25 17:02:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court